

मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
मुख्यालय जबलपुर (म.प्र.)

810

पत्र क्र. 3105/तक./ग्रा.स./2022

जबलपुर, दिनांक-30.03.2022

तकनीकी स्वीकृत आदेश

म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक 316/22/वि-12/म.प्र.ग्रा.स.वि./2002 दिनांक 01.02.2002 द्वारा प्रत्यायोजित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मुख्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक 4170/22/वि-12/ग्रा.स.वि.प्रा./RCPLWEA/2022 भोपाल दिनांक 28.03.2022 में निहित निर्देशों के परिपालन में RCPLWEA के बैच-1 (2021-22) के तहत बालाघाट जिले में सड़कों के निर्माण कार्य के प्राक्कलन की उनकी समक्ष दर्शायी गयी कुल राशि रुपये 1311.44 लाख की तकनीकी स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है। यह तकनीकी स्वीकृति पंजी क्रमांक 01 के पृष्ठ क्रमांक 20 सरल क्रमांक 29 पर दर्ज की गई है।

परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक-1 बालाघाट

पैकेज क्रमांक एम.पी. 01-810

S N o	Block	Name of road	Length (in Km)	New Construction Cost (Rs.in Lakh)				New Maintenance Cost (Rs.in Lakh)			Grand Total Cost for TS (8+11)	TS.no. and Date
				Civil Work Cost	Utility shifting, DPR preparation & Provision for Road Inauguration & social economic & safeguard cost	12% of GST cost (Rs in Lakhs) (5+6)	Total cost of road (Rs in Lakhs) Including GST (Col-5+6+7)	Maintenance cost	12% of GST cost	Total (9+10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Lanji	O-Bodalkha to Dhiri Murum	18.50	1112.02	5.01	134.04	1251.08	53.89	6.47	60.36	1311.44	29/30.03.22
Total			18.50	1112.02	5.01	134.04	1251.08	53.89	6.47	60.36	1311.44	

प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदाय की जाती है।

1. प्राक्कलन में स्वीकृत आयटम के अतिरिक्त यदि किसी अन्य आयटम के कार्य करवाना आवश्यक हो तो तत्संबंध में पृथक् से स्वीकृति प्राप्त करना होगी।
2. तकनीकी स्वीकृति मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 05.11.2019 से लागू दर अनुसूची पर आधारित हैं।
3. उपरोक्त निर्माण कार्य का संपादन समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जावे।

(बी.एस.चंदेल)

मुख्य महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

मुख्यालय जबलपुर

जबलपुर, दिनांक-30.03.2022

पृ. क्रमांक : 3106 /तक./ग्रा.स./2022

प्रतिलिपि :-

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रभारी अधिकारी पी.एम.जी.एस.वॉय/आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई.ए, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. महाप्रबंधक, म.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा. परियोजना क्रियान्वयन इकाई बालाघाट-1 की ओर पत्र क्रमांक 506 दिनांक 28.03.2022 के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मुख्य महाप्रबंधक

म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

मुख्यालय जबलपुर